प्रेस नोट दिनांक 01.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर , जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अरमान खान गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अरमान खान को थाना क्षेत्रान्तर्गत जिरियामऊ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में प्र0नि0 सुभाष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त दुबे, हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 मलखान, का0 अभिषेक वर्मा, रि0का0 विक्रम प्रताप सिंह मय चालक ASI सुरेश कुमार दुबे द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, लंबित विवेचना एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-70 (2)/351 (3) बीएनएस व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त अरमान खान पुत्र सिकन्दर खान नि० अचलपुर पठखौली थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत जिरियामऊ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अरमान खान पुत्र सिकन्दर खान नि० अचलपुर पठखौली थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
प्र0नि0 सुभाष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त दुबे, हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 मलखान, का0 अभिषेक वर्मा, रि0का0 विक्रम प्रताप सिंह मय चालक ASI सुरेश कुमार दुबे, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त सानू उर्फ हसन अली गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 408/2026 से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सानू उर्फ हसन अली को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.10.2026 को सुबह थाना कुण्डा क्षेत्रांतर्गत ग्राम दर्जियाना मजरे बरई निवासी मुख्तार अहमद अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी पड़ोसी मो0 शमीम व मो0 कलीम द्वारा लकड़ी का दरवाजा खोलकर जाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ने अपने अन्य साथियों मो0 शमशाद, मो0 शानू एवं मो0 कैफ को बुला लिया तथा सभी ने एकराय होकर लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से मुख्तार अहमद, उनके भाई आशिक अली एवं पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे मुख्तार अहमद व उनके भाई के सिर में गंभीर चोटें आईं तथा आशिक अली बेहोश हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 0408/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 110, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विनय कुमार वर्मा का0 अतुल कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत सेमरी चकादर अली तिराहे से मु0अ0सं0 408/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 110 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त- सानू उर्फ हसन अली पुत्र मो0 नसीम, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 01.11.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मन्नान की बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1- सानू उर्फ हसन अली पुत्र मो0 नसीम, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विनय कुमार वर्मा का0 अतुल कुमार यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

दहेज हत्या के अभियोग में 03 वांछित अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त/ अभियुक्ता, निखिल वर्मा, रामकुमार वर्मा व संगीता देवी को क्षेत्रान्तर्गत गधियावां पट्टी रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम बनकट लोदी (नगईपुर), थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर की पुत्री की शादी निखिल पटेल निवासी ग्राम गधियावां, थाना आसपुर देवसरा के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, ससुर, सास एवं ननद द्वारा दहेज में दोपहिया वाहन व एक लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे प्रताड़ित एवं मारपीट किया जाता था। दिनांक 28.07.2026 को काजल द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने की सूचना पर परिजन उसे उपचार हेतु प्रयागराज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 205/2026 धारा 80(2)/85/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 04 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 जावेद अहमद खान उ0नि0 जयकिशुन यादव का0 वीरेन्द्र यादव का0 किशन दुबे का0 नीरज पटेल म0आ0 गायत्री यादव द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर नारायण महाविद्यालय, गधियावां पट्टी रोड के पास से मु0अ0सं0 205/2026 धारा 80(2)/85/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-
1. निखिल वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. रामकुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामलाल वर्मा, उम्र करीब 46 वर्ष।
3. संगीता देवी पत्नी रामकुमार वर्मा, उम्र करीब 42 वर्ष।
समस्त निवासीगण ग्राम गधियावा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 जावेद अहमद खान उ0नि0 जयकिशुन यादव का0 वीरेन्द्र यादव का0 किशन दुबे का0 नीरज पटेल म0आ0 गायत्री यादव थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।